एकलपीठ सिविल विविध अवमानना याचिका संख्या-430/2003

अन्तर्गत

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-5570/1999

15.12.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री अनुरूप सिंघी, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री श्याम आर्य, राजकीय अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षी/ कन्टेमनरस्।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा प्रस्तुत किए गये प्रलेखों का अनुशीलन किया गया। मैं, संतुष्ट हूं कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सारभूत पालना हो चुकी है, ऐसी स्थिति में इस अवमानना याचिका को आगे जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

परिणामत: यह अवमानना याचिका निरस्त की जाती है। प्रतिपक्षी/ कन्टेमनरस् को जारी अवमानना के नोटिस उन्मोचित किए जात हैं।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)